

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.6(29)नविवि/3/2004

जयपुर, दिनांक **2 SEP 2024**

संशोधित आदेश

राज्य सरकार द्वारा अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में विकसित भूमि आवंटित करने हेतु जारी आदेश दिनांक 12.07.2024 के बिन्दु संख्या 15.5.1 में अंकित बिन्दु संख्या 9.6 के स्थान पर 15.5 पढा जावे, तथा बिन्दु संख्या 14 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“मुआवजे के रूप में विकसित भूमि के भूखण्डों का आवंटन राजस्थान नगरीय (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत किया जायेगा। भूमि अवाप्ति/अर्जन के बदले भूखण्ड आवंटन दर शून्य होने से अधिसूचना दिनांक 18.01.2023 के अन्तर्गत लीज राशि देय नहीं होगी।”

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/पालिका/परिषद को निर्देश किये जाने हेतु।
7. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर.।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव-प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation: Deputy
Secretary To Government
Date :02-09-2024 05:13:57